रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 616] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 24, 2007/ज्येष्ठ 3, 1929
No. 616] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 24, 2007/JYAISTHA 3, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2007

का.आ. 811(अ).– जबकि आयकर अधिनियम,1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 5 जुलाई 2006, की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1011 (अ0) को आगे संशोधन करती है नामतः-

उक्त अधिसूचना में (i) पैराग्राफ 1 शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के लिए " क्रम सं0 9 में नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइन्ड (जिला खेड़ा शाखा), 26-ए, विवेकानंद सोसायटी, टेलीफोन आफिस के निकट, मेहमादाबाद, जिला खेड़ा, गुजरात-387130 द्वारा मेहमादाबाद जिला खेड़ा में भूमि का विकास, सुविधाओं सहित विद्यालय कार्यशाला, छात्रावास और स्टाफ क्वार्टर्स हेतु भवन का निर्माण" के शब्दों, कोष्ठकों, और अंकों के लिए " क्रम सं0 16, नेशनल एसोसिएशन फार दी ब्लाइंड (मेहसाणा जिला शाखा) साऊथ कमर्शियल सेन्टर, थ्री गेट के निकट, विसनगर-384315, जिला मेहसाना (उत्तरी गुजरात) गुजरात द्वारा गुजरात के मेहसाणा जिले की सभी तालुकाओं में नेत्रहीनों के लिए पुनर्वास परियोजना " रखा जाएगा।

(ii) पैराग्राफ 4 में अंको, शब्दों और कोष्ठकों के लिए नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइन्ड(जिला खेड़ा शाखा), 26-ए, विवेकानंद सोसायटी, टेलीफोन आफिस के निकट, मेहमादाबाद, जिला खेड़ा, गुजरात-387130 द्वारा मेहमादाबाद जिला खेड़ा में चलाई जा रही भूमि का विकास, सुविधाओं सहित विद्यालय कार्यशाला, छात्रावास और स्टाफ क्वार्टर्स हेतु भवन का निर्माण" के लिए शब्दों, कोष्ठकों, अंकों " नेशनल एसोसिएशन फार दी ब्लाइंड (मेहसाणा जिला शाखा) साऊथ कमर्शियल सेन्टर, थ्री गेट के निकट, विसनगर-384315, जिला मेहसाना (उत्तरी गुजरात) गुजरात द्वारा मेहसाणा जिले की सभी तालुकाओं में नेत्रहीनों के लिए पुनर्वास परियोजना या स्कीम " प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 174/2007/फा. सं. एन.सी.-274/03/2007]

विजय कुमार, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

2536 GI/2007

पाद टिप्पणी : मुख्य नियम दिनांक 10 मार्च, 1997 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 180 (अ0) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और दिनांक 1 अप्रैल, 1999 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 216 (अ0) , दिनांक 9 दिसम्बर, 2002 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1284 (अ0) दिनांक 5 अगस्त, 2003 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 902 (अ0) द्वारा संशोधित किए गए थे ।